डुमरा, बिहार तक रेलवे सर्वेक्षण का पूरा किया जाना

7864. **श्री जनार्दन यादवः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के बांका जिले में स्थित मंदार-हिल के डुमरा तक विस्तारण कार्य के सर्वेक्षण को पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो शेष कार्य को कब तक पूरा किया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी॰के॰ जाफर शरीफ): (क) जी हां।

(ख) परियोजना की सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन के लिए योजना आयोग को भेज दी गयी है। योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

मध्य प्रदेश में रेल लाइनों का बिछाया जाना

7865. **श्री गोविन्द राम मिरीः** क्या रेल मंत्री 11 मई 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं॰ 6832 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नई रेल लाइनें बिछाने के संबंध में सर्वेक्षण कब किया गया था तथा इस सर्वेक्षण की अवधि क्या थी;

(ख) क्या बिलासपुर से मध्य प्रदेश तक रेल लाइन बिछाने के संबंध में सर्वेक्षण किया गया था यदि हां तो यह सर्वेक्षण कब किया गया था और उस सर्वेक्षण के क्या नतीजे निकले और उसके अभी तक भी कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) दिल्ली-राजहरा-जगदलपुर लाइन के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव को योजना-आयोग के पास कब भेजा गया और इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है और निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी॰के॰ जाफर शरीफ): (क) ढल्लीराजहरा से जगदलपुर तक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण 1987 में किया गया था।

(ख) बिलासपुर-जबलपुर लाइन का सर्वेक्षण 91-92 में किया गया था। सर्वेक्षण से पता चला कि 372 कि॰मी॰ लंबी लाइन की लागत 392 करोड़ रुपये आयेगी और प्रतिफल की दर नकारात्मक होगी। परियोजना अलाभप्रद प्रकृति की होने तथा संसाधनों की भारी तंगी को ध्यान में रखते हुए परियोजना के अनुमोदन पर विचार नहीं किया जा सका।

(ग) ढल्लीराजहरा-जगदलपुर लाइन का निर्माण शुरू करने के लिए एक योजना आयोग के अनुमोदन के लिए 11.11.93 को भेजी गयी थी। निर्माण कार्य का पूरा होना योजना आयोग का अनुमोदन और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

रेलगाड़ियां चलाने में निजी क्षेत्र की सहभागिता

7866. **श्री गोविन्द राम मिरीः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेल मंत्रालय ने निजी क्षेत्र को कुछ गाड़ियों को चलाने का उत्तरदायित्व सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है और इस निर्णय के संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या रेल मंत्रालय ने विश्राम गृह और कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण के ठेकों को भी निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है और इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ): (क) और (ख) रेल मंत्रालय ने संलग्न विवरण **(नीचे देखिये)** में दिए गए बड़ी लाइन के 5 सर्किटों पर पर्यटक गाड़ियों के स्वामित्व, विपणन और प्रबंधन के लिए बोलियां सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों से आमंत्रित की हैं ऐसा अवर्सरचना में निवेश आकर्षिक करने की सरकार की नई आर्थिक नीति को ध्यान में रखते हुए किया गया है तथा इसका उद्देश्य देश में पर्यटक यातायात में वृद्धि करना और उससे विदेशी मुद्रा अर्जित करना है।

(ग) जी नहीं।

विवरण

पर्यटक सर्किट

1. दिल्ली-जयपुर-आगरा-ग्वालियर-झांसी-वाराणसी-लखनऊ-दिल्ली ।
2. गोवा (मडगांव)-मंगलोर-मैसूर-हासपेट-बेंगलूरु-गोवा (मडगांव) ।
3. बंबई-औरंगाबाद-नांदेड-सिकंदराबाद-हैदराबाद-पुणे-बंबई ।
4. हावड़ा-गया-वाराणसी-गोरखपुर-भुवनेश्वर-पुरी-हवड़ा ।
5. बेंगलूरू-मैसूर-मद्रास-कोडैकनाल रोड-कन्या कुमारी-त्रिरूवनतंपुरम-कोच्चिन-मेटूपालैयम-बेंगलूरू ।

Payment of compensation to victims of rail accidents at un-manned level crossings

7867. SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRI N.E. BALARAM:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railways have no provision under the existing law to pay compensation to the victims of the accidents taking place at un-manned level crossings; and

(b) if so, whether Government have any plan to amend this law as it is primarily the responsibility of the Railways to prevent accidents at unmanned level crossings; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) There is no provision to pay compensation to the victims of the accidents taking place at unmanned level crossings.

(b) Under Section 131 of the Motor Vehicles Act, 1988 and Section 161 of the Railways Act 1989, it is the responsibility of the road user to observe precautions while negotiating un-manned level crossings. There is no plan to bring about any change in this regard in the Acts.

Computerised freight operation system

7868. MISS. SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry has recently ignored a proposal from the National Informatics Centre for the delivery of a coomputerised system for freight operations, as per the news item which appeared in the Times of India, dated the 23rd May, 1994, entitled "Railways ignored NIC Offer on Automation";

(b) whether it is also a fact that the Railways are going ahead with a project which uses outdated imported software and costs about Rs., 1,800 crores;

(c) if so, what are the details of the NIC's Offer in this regard and the cost thereof; and

(d) what are the reasons for the Railways to go ahead with a project which uses outdated imported software and is also costlier;

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) and (c) In January 94 the National Informatics Centre (NIC) had made a suggestion that it can develop a computerised information system for freight operations. Some of the technical details of the offer, however were made available only on 7th June, 94. The NIC proposal consists of a network of super mini computers located at area reporting centres, Divisional and Zonal Headquarters and at the Railway Board. Satellite based data links will be used for telecommunications. The cost of the project is projected to be 296.75 crores.

(b) Work has been in progress since the eighties on a computerised Freight Operating Information System (FOIS) for Indian Railways using software obtained from C.N. Railways, Canada on the basis of a decision of a Committee of Secretaries in 1982. Trials are currently being conducted on a limited territory on Northern Railway. The anticipated cost